**न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम–सह–विशेष न्यायालय, सुपौल।**

SC/ST Case No.- 74/2022
Kunauli (Dagmara O.P.) P.S. Case No.- 61/2014

03/05/2024

अभिलेख आज संज्ञान के बिन्दु पर सुनवाई वास्ते प्रस्तुत किया गया। संज्ञान के बिन्दु पर विद्वान विशेष लोक अभियोजक को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद सूचक राम प्रसाद राम के आवेदन के आधार पर अभियुक्त 1. राम प्रवेश यादव, 2. गंगा प्रसाद साह, 3. राजेन्द्र यादव, 4. दीप नारायण यादव के विरूद्ध धारा 341, 323, 467, 468, 504, 506/34 भा0दं0वि0 एवं 3(1)(x) SC/ST Act के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज की गयी है। अनुसंधान पश्चात अनुसंधानकर्ता द्वारा प्राथमिकी में नामजद सभी अभियुक्तों के विरूद्ध धारा 323, 504, 506/34 भा0दं0वि0 एवं 3(1)(x) SC/ST Act के अंतर्गत आरोप पत्र सं0 06/2015 दिनांक 31/01/2015 समर्पित किया गया।

प्राथमिकी, आरोप पत्र एवं काण्ड दैनिकी का अवलोकन किया। काण्ड दैनिकी एवं अभिलेख पर उपलब्ध अन्य सामग्री से आरोप पत्र के कंडिका 11 में वर्णित सभी अभियुक्तों के विरूद्ध अग्रिम कार्यवाही वास्ते अभिलेख पर पर्याप्त सामग्री उपलब्ध है।

अतः आरोप पत्र के कंडिका 11 में वर्णित **अभियुक्त 1. राम प्रवेश यादव, 2. गंगा प्रसाद साह, 3. राजेन्द्र यादव, 4. दीप नारायण यादव के विरूद्ध धारा 323, 504, 506/34 भा0दं0वि0 एवं 3(1)(s) SC/ST Act के अंतर्गत अपराध का संज्ञान लिया जाता है।** वाद विचारण एवं निष्पादन हेतु निजी संचिका में रखा जाता है। कार्यालय सभी अभियुक्तों की उपस्थिति वास्ते सम्मन निर्गत करें।

दिनांक 06/06/24 उपस्थिति वास्ते।

Nishant Kant Thakur
3/5/24

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश–प्रथम–
सह–विशेष न्यायाधीश (एस0सी0/एस0टी0),
सुपौल